RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अक्टूबर
18
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

FSSAI ने भ्रामक दावों के कारण खाद्य ब्रांडों पर 'ORS' टैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। / FSSAI bans food brands from using the 'ORS' tag over misleading claims

संदर्भ:

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (**FSSAI**) ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने **लेबल और विज्ञापनों में 'ORS' (Oral Rehydration Solution)** शब्द का प्रयोग **तुरंत बंद करें**, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला (misleading) माना गया है।

FSSAI का सख्त आदेश: पेय पदार्थों पर 'ORS' शब्द के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध:

- **प्रतिबंध का कारण:** भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पाया कि कई वाणिज्यिक पेय उत्पाद 'ORS' लेबल के साथ बेचे जा रहे थे, जिनमें शुगर की मात्रा अधिक थी और उनमें नमक व ग्लूकोज़ का अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक के अनुरूप नहीं था। इससे उपभोक्ता, विशेषकर बच्चों के माता-पिता, भ्रमित हो रहे थे जो चिकित्सकीय ORS उपचार की तलाश में थे।
- **निर्देश का विवरण:**
    - 14 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, सभी **फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBOs)** को अपने उत्पादों के नाम, लेबल और विज्ञापनों में 'ORS' शब्द का उपयोग तुरंत बंद करना होगा।
    - यह नया आदेश जुलाई 2022 और फरवरी 2024 के पुराने FSSAI आदेशों को निरस्त करता है, जिनमें चेतावनी के साथ 'ORS' शब्द के उपयोग की सीमित अनुमति दी गई थी।
- **कार्यान्वयन और दंड:** आदेश का उल्लंघन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत भ्रामक ब्रांडिंग (misbranding) माना जाएगा। दोषी कंपनियों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **पृष्ठभूमि:** यह निर्णय आठ वर्षों की कानूनी प्रक्रिया और **बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवरंजन संतोश** द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के बाद आया है। उन्होंने गलत 'ORS' उत्पादों से जुड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंता जताई थी।
- **प्रभावित ब्रांड:** यह आदेश सभी गैर-अनुपालन करने वाले उत्पादों पर लागू होगा। कुछ सामान्य ब्रांड जो अक्सर असली ORS सॉल्यूशन से भ्रमित होते हैं, उनमें शामिल हैं: **ORSL, Rebalance with ORS, ORSFIT, Gatorade, Enerzal, Tata Gluco Plus, 100Plus, और Fast&Up Reload**। केवल वही उत्पाद जिन्हें **WHO द्वारा निर्धारित असली ORS फॉर्मूलेशन** के अनुसार बनाया गया है और जो आमतौर पर **फार्मेसी में उपलब्ध होते हैं**, उन्हें 'ORS' लेबल उपयोग करने की अनुमति रहेगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का असली ओआरएस फॉर्मूला: WHO के अनुसार, वास्तविक ओआरएस घोल की **कुल ऑस्मोलैरिटी 245 mOsm/L** होनी चाहिए।

• इसमें प्रति लीटर पानी में निम्नलिखित तत्व होते हैं:

- **सोडियम क्लोराइड:** 2.6 ग्राम
- **पोटेशियम क्लोराइड:** 1.5 ग्राम
- **सोडियम साइट्रेट:** 2.9 ग्राम
- **डेक्सट्रोज एन्हाइड्रस:** 13.5 ग्राम

यह संतुलित फॉर्म्युला शरीर में तरल और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से पूरा करता है।

बाजार में बिकने वाले 'फर्जी ओआरएस' पेयों में पाई गई असंगतियां: कई ब्रांड जो अपने उत्पादों को "ORS" के रूप में बेचते हैं, वास्तव में **WHO मानकों से बहुत अलग** हैं।

इनमें **120 ग्राम शुगर प्रति लीटर** पाई गई, जिसमें लगभग **110 ग्राम अतिरिक्त चीनी (Added Sugar)** होती है।

इलेक्ट्रोलाइट का स्तर भी काफी कम पाया गया –

- **सोडियम:** 1.17 ग्राम प्रति लीटर
- **पोटेशियम:** 0.79 ग्राम प्रति लीटर
- **क्लोराइड:** 1.47 ग्राम प्रति लीटर

निष्कर्ष: ये पेय पदार्थ **वास्तविक ओआरएस नहीं**, बल्कि मीठे ड्रिंक हैं जो **स्वास्थ्य लाभ का झूठा आभास** देते हैं। FSSAI ने उपभोक्ताओं को गुमराह करने से रोकने और **जन स्वास्थ्य सुरक्षा** सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी "ORS" नामक उत्पादों पर **कड़ा प्रतिबंध** लगाया है।

UNTCC प्रमुखों का सम्मेलन 2025 / UNTCC Chiefs' Conclave 2025

संदर्भ:

UNTCC चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में 32 देशों के सैन्य प्रमुखों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों (UN Peacekeeping Operations) के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रणनीतियों को मजबूत करना था।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन:

मुख्य विवरण:

- **आयोजक:** भारतीय सेना ने तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की।
- **प्रतिभागी:** 32 देशों के सेना प्रमुख, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र के उच्चाधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए।
- **स्थान:** नई दिल्ली, भारत (दूसरे दिन आगरा का दौरा भी किया गया)।
- **थीम:** जटिल वैश्विक सुरक्षा माहौल में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को अधिक प्रभावी और अनुकूल बनाने पर चर्चा। कार्यक्रम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (पूरी दुनिया एक परिवार है) की भावना पर आधारित था।

प्रमुख निष्कर्ष एवं आयोजन:

- **प्रौद्योगिकी पर जोर:** सम्मेलन में स्वदेशी और किफायती तकनीकों के उपयोग को शांति अभियानों की सफलता का मुख्य आधार बताया गया। भारत की आत्मनिर्भर सैन्य प्रणालियों को प्रदर्शित करने हेतु डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया।
- **राष्ट्रपति की सहभागिता:** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए भारतीय शांति सैनिकों के योगदान की सराहना की और तकनीकी नवाचार व सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।
- **विदेश मंत्री का संबोधन:** विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अपने संबोधन में शांति अभियानों को नई वैश्विक वास्तविकताओं – जैसे असममित युद्ध और गैर-राज्य तत्वों की बढ़ती भूमिका – के अनुरूप ढालने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **द्विपक्षीय बैठकें:** विभिन्न देशों के सेना प्रमुखों ने परस्पर रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए द्विपक्षीय चर्चाएं कीं।
- **सांस्कृतिक कार्यक्रम:** प्रतिनिधियों ने ताजमहल सहित भारत की सांस्कृतिक विरासत का अनुभव किया। दिल्ली में लाल किले पर प्रकाश और ध्वनि शो जैसे आयोजन भी किए गए।

संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान (UN Peacekeeping): संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान उन देशों की सहायता के लिए संचालित किए जाते हैं जो संघर्ष से उभरकर स्थायी शांति की ओर बढ़ रहे होते हैं। इन अभियानों में शामिल सैनिक, पुलिसकर्मी और नागरिक कर्मी – जिन्हें "ब्लू हेलमेट्स" कहा जाता है – सदस्य देशों से आते हैं और संघर्षोत्तर क्षेत्रों में शांति प्रक्रियाओं की निगरानी व समर्थन करते हैं।

मुख्य सिद्धांत:

1. **पक्षों की सहमति:** मिशन की तैनाती केवल तब होती है जब मेज़बान देश और संबंधित पक्षों की सहमति प्राप्त हो।
2. **निष्पक्षता:** शांति सैनिकों को किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए; निष्पक्षता का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि जनादेश के पालन में संतुलित कार्रवाई है।
3. **बल प्रयोग की मनाही:** आत्मरक्षा या मिशन के जनादेश की रक्षा के अतिरिक्त बल का प्रयोग नहीं किया जाता। सुरक्षा परिषद इसकी स्वीकृति देती है।

कार्य और जनादेश (Functions and Mandate):

- संघर्षविराम की निगरानी से आगे बढ़ते हुए आधुनिक शांति अभियानों का दायरा व्यापक है।
- **मुख्य भूमिकाएँ:**
  - नागरिकों की सुरक्षा
  - राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना
  - **Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR)** कार्यक्रमों में सहायता
  - चुनावों का समर्थन
  - मानवाधिकारों और विधि के शासन को बढ़ावा देना

संरचना और कार्मिक (Structure and Personnel):

- संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है।
- सदस्य देश स्वेच्छा से सैनिक, पुलिस और नागरिक विशेषज्ञ उपलब्ध कराते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के कमान तंत्र के अधीन कार्य करते हैं।
- इन अभियानों का समन्वय **Department of Peace Operations (DPO)** और **Department of Operational Support (DOS)** द्वारा किया जाता है।

मर्कोसुर-भारत व्यापार समझौता / MERCOSUR–India Trade Agreement

संदर्भ:

भारत और ब्राज़ील ने नई दिल्ली और दक्षिण अमेरिकी देशों के समूह "मर्कोसुर (Mercosur)" के बीच मौजूद प्राथमिक व्यापार समझौते (Preferential Trade Pact) के दायरे को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना है। मर्कोसुर (Mercosur) एक लैटिन अमेरिकी व्यापार समूह (Trading Bloc) है, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे शामिल हैं।

मुख्य बिंदु:

- **विस्तारित दायरा (Expanded Scope):**
  - प्रस्तावित विस्तार के तहत कवर किए जाने वाले उत्पादों की संख्या लगभग 450 से बढ़ाकर 1500-2000 की जाएगी।
  - यह पहल शुल्क (tariff) और गैर-शुल्क (non-tariff) दोनों प्रकार की व्यापारिक बाधाओं को संबोधित करने पर केंद्रित है।
- **वार्ता समयसीमा (Negotiation Timeline):** दोनों देशों ने यह संकल्प लिया है कि विस्तार से संबंधित वार्ताएं आधिकारिक शुरुआत से एक वर्ष के भीतर पूरी कर ली जाएंगी।
- **व्यापार लक्ष्य (Trade Target):** भारत और ब्राज़ील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया है, जो 2024 के 12 अरब डॉलर के मौजूदा स्तर से लगभग दोगुना है।

महत्व: यह कदम भारत और ब्राज़ील के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊँचाइयों पर ले जाने, व्यापार विविधीकरण को प्रोत्साहन देने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

MERCOSUR–भारत प्राथमिकता व्यापार समझौता (PTA):

MERCOSUR-भारत प्राथमिकता व्यापार समझौता एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है, जो 2009 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच चयनित उत्पादों पर टैरिफ में छूट देकर व्यापार को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में भारत और MERCOSUR इसके विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं।

उत्पाद कवरेज:

- **भारत से MERCOSUR निर्यात:** टैरिफ छूट वाले उत्पादों में मांस उत्पाद, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, चमड़े के सामान, वस्त्र, मशीनरी और विद्युत उपकरण शामिल हैं।
- **MERCOSUR से भारत निर्यात:** छूट वाले उत्पादों में फूड प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, आवश्यक तेल, प्लास्टिक, रबर, उपकरण और मशीनरी शामिल हैं।

यह समझौता दोनों पक्षों के व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके विस्तार की चर्चाएं द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में हैं।

इतिहास और पृष्ठभूमि:

- **हस्ताक्षरकर्ता:**
  - **MERCOSUR (Southern Common Market)** एक दक्षिण अमेरिकी व्यापारिक ब्लॉक है, जिसमें प्रमुख सदस्य देश हैं – **ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया, पैराग्वे, और उरुग्वे।**
  - इसके अलावा **चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, गुयाना और सूरीनाम** सहयोगी सदस्य (Associate Members) हैं।
  - PTA केवल MERCOSUR के **स्थापना सदस्यों** के साथ ही किया गया था।
- **फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (Framework Agreement):**
  - प्रारंभिक समझौता **17 जून 2003** को **असंसियन (पराग्वे)** में हुआ।
  - उद्देश्य: वार्ता की शर्तों को निर्धारित करना और दीर्घकालिक रूप से **मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area)** स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करना।
- **PTA का हस्ताक्षर और कार्यान्वयन:**
  - समझौते पर **25 जनवरी 2004 को नई दिल्ली** में हस्ताक्षर किए गए।
  - यह **1 जून 2009 से लागू** हुआ।

1991	• MERCOSUR was formed in 1991 with the objective of free movement of goods, services, capital and people
1995	• It became a Custom Union
2003	• Signing of Framework agreement between India and MERCOSUR in 2003 at Asuncion, Paraguay
2004	• Preferential Trade Agreement(PTA) between India and MERCOSUR signed
2006	• Expansion of India-MERCOSUR PTA – by increasing the number of products covered and increasing the tariff concessions agreed by each side
2009	• India – MERCOSUR PTA comes into effect

- **प्रारंभिक दायरा:** भारत की ओर से **लगभग 450 टैरिफ लाइन्स** और MERCOSUR की ओर से **452 टैरिफ लाइन्स** शामिल थीं।
  - इन पर **10% से 100% तक की टैरिफ छूटें** दी गईं।

H-1B वीज़ा शुल्क विवाद / H-1B visa fee controversy

संदर्भ:

अमेरिकी वाणिज्य मंडल (U.S. Chamber of Commerce) ने हाल ही में ट्रम्प प्रशासन की नई नीति को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें H-1B वीज़ा आवेदन पर 1,00,000 डॉलर की नई फीस लगाई गई है। यह नीति सितंबर 2025 की एक घोषणा (Proclamation) में लागू की गई थी। वर्तमान में यह मामला अदालत में विचाराधीन (Ongoing) है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

H-1B वीज़ा शुल्क विवाद: अमेरिकी वाणिज्य मंडल ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को अदालत में दी चुनौती:

मुख्य तर्क (Main Arguments):

- **कार्यकारी अधिकार की सीमा से परे:** वाणिज्य मंडल (U.S. Chamber of Commerce) का कहना है **कि $100,000 का नया शुल्क राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी अधिकार से अधिक है, क्योंकि नए वीज़ा शुल्क ढांचे का निर्धारण केवल कांग्रेस** के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- **कानूनी उल्लंघन:** यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि वीज़ा शुल्क वास्तविक सरकारी प्रसंस्करण लागत पर आधारित होना चाहिए, जो आमतौर पर $2,000 से $5,000 के बीच होती है।
- **आर्थिक बोझ (Economic Burden):** यह शुल्क अमेरिकी नियोक्ताओं, विशेष रूप से छोटे, मध्यम व्यवसायों और स्टार्ट-अप्स के लिए अत्यधिक बोझिल साबित होगा। इससे या तो श्रम लागत बढ़ेगी या उच्च कौशल वाले विदेशी कर्मियों की भर्ती घटेगी।

मुकदमे का उद्देश्य (Goal): मुकदमे का मुख्य उद्देश्य Department of Homeland Security (DHS) और State Department को इस शुल्क को लागू करने से न्यायालयीय आदेश (injunction) के माध्यम से रोकना है।

प्रभाव (Impact):

- यह नीति मुख्यत: संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर से नए H-1B आवेदकों को प्रभावित करती है।
- **भारतीय तकनीकी पेशेवर**, जिन्हें कुल H-1B वीज़ाओं का लगभग **71%** प्राप्त होता है, इस निर्णय से सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

न्यायिक स्थिति (Judicial Status):

- इस शुल्क के खिलाफ कम से कम दो कानूनी चुनौतियाँ दायर की गई हैं।
- दूसरा मुकदमा कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में यूनियनों, नियोक्ताओं और धार्मिक समूहों द्वारा दाखिल किया गया है।
- दोनों मामलों का न्यायिक परिणाम लंबित है और वे अदालती प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

एच-1बी वीज़ा क्या है: यह एक अमेरिकी वीज़ा प्रोग्राम है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने की अनुमति देता है।

- सामान्य अवधि: तीन साल, जिसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है।

एच-1बी वीज़ा के लिए पात्रता (Eligibility):

- यह **नियोक्ता प्रायोजित (Employer-Sponsored)** वीज़ा है, यानी आवेदन प्रक्रिया और शुल्क **नियोक्ता द्वारा संभाली जाती है**, न कि कर्मचारी द्वारा।

मुख्य शर्तें:

1. **नियोक्ता आवेदन करेगा:** कर्मचारी की ओर से नियोक्ता ही वीज़ा के लिए आवेदन करता है।
2. **कौशल और योग्यता:** नियोक्ता को साबित करना होता है कि कर्मचारी उनके व्यवसाय या संगठन के लिए आवश्यक कौशल और उपयुक्तता रखता है।
3. **विशेष व्यवसाय:** आम तौर पर यह वीज़ा उन क्षेत्रों के लिए है जिनमें विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे:
    - इंजीनियरिंग (Engineering)
    - जीव विज्ञान (Life Sciences)
    - भौतिक विज्ञान (Physical Sciences)
    - गणित (Mathematics) और व्यापार प्रबंधन

एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम का इतिहास:

- **शुरुआत:** 1990, अमेरिका के आव्रजन अधिनियम के तहत।
- **उद्देश्य:** अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कुशल कर्मचारियों को नौकरी देने की अनुमति देना।

कोटा और अवधि:

- हर साल 65,000–85,000 H-1B वीज़ा उपलब्ध कराए जाते हैं।
- अमेरिकी एडवांस डिग्रीधारकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीज़ा।
- मान्यता अवधि: **तीन साल**, जिसे अगले **तीन साल के लिए नवीनीकृत** किया जा सकता है।

लाभ और सांख्यिकी:

- भारतीय कर्मचारी इस कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं, जो **कुल वीज़ा कोटे का लगभग 73%** प्राप्त करते हैं।
- अमेरिकी कंपनियां इस वीज़ा के माध्यम से **विदेशी कुशल कर्मचारियों** को अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं और **वैश्विक तकनीकी प्रतिभा** का लाभ उठा सकती हैं।

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स / Henley Passport Index

संदर्भ:

भारत का **पासपोर्ट वैश्विक रैंकिंग में 85वें स्थान** पर आ गया है, जो **2024 में 80वें स्थान** से नीचे गिरावट दर्शाता है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब **57 देशों में वीज़ा-फ्री प्रवेश (Visa-free access)** की सुविधा प्राप्त है। वर्तमान में **सिंगापुर** इस सूची में **पहले स्थान** पर बना हुआ है।

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स (Henley Passport Index):

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक **वैश्विक रैंकिंग** है जो पासपोर्ट की ताकत को मापती है। यह रैंकिंग इस आधार पर तय की जाती है कि पासपोर्ट धारक कितने देशों में **पूर्व-वीज़ा (pre-arranged visa)** के बिना प्रवेश कर सकते हैं।

मुख्य विवरण:

- **प्रकाशक:** इंडेक्स को **Henley & Partners**, लंदन आधारित ग्लोबल सिटिजनशिप और रेज़िडेंस सलाहकार कंपनी, द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है।
- **डेटा स्रोत:** इसमें **International Air Transport Association (IATA)** का विशेष डेटा इस्तेमाल होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा और सटीक यात्रा सूचना डेटाबेस रखता है।
- **पद्धति (Methodology):**
  - पासपोर्ट को **"वीज़ा-फ्री स्कोर (visa-free score)"** के आधार पर रैंक किया जाता है।
  - प्रत्येक ऐसे देश के लिए जहाँ पासपोर्ट धारक **बिना वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल (VOA), विज़िटर परमिट, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी (e-ETA)** के साथ प्रवेश कर सकते हैं, **1 अंक** दिया जाता है।
  - यदि किसी देश में **पूर्व-स्वीकृत वीज़ा या e-Visa की आवश्यकता** होती है, तो **0 अंक** दिया जाता है।
- **अपडेट्स:** यह इंडेक्स **मासिक या कम से कम तिमाही** आधार पर अपडेट होता है, ताकि वैश्विक वीज़ा नीतियों में बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके।
- **उद्देश्य:** यह **यात्रियों और सरकारों** को वैश्विक गतिशीलता (global mobility) और देशों की **सॉफ्ट पावर** (diplomatic relations और वीज़ा छूट समझौतों के माध्यम से) को समझने का एक मानक प्रदान करता है।

अभ्यास 'समुद्र शक्ति' / Exercise 'Samudra Shakti'

संदर्भ:

भारतीय नौसेना (Indian Navy) विशाखापट्टनम में भारत-इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के पाँचवें संस्करण 'समुद्र शक्ति – 2025 (Samudra Shakti – 2025)' की मेज़बानी कर रही है।

अभ्यास 'सामुद्र शक्ति' (Exercise 'Samudra Shakti'): भारत–अमेरिका नौसैनिक सहयोग

परिचय:

- यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच **इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने, आपसी समझ मजबूत करने और श्रेष्ठ अभ्यास साझा करने** के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
- पहली बार इसे **2018** में आयोजित किया गया।

अभ्यास के चरण (Phases of Exercise):

1. **हार्बर फेज (Harbour Phase):**
   - नौसैनिक कर्मियों के बीच **मित्रता और पेशेवर समझ** को बढ़ावा देना।
2. **सी फेज (Sea Phase):**
   - **जटिल संचालन समन्वय** पर केंद्रित।
   - मुख्य गतिविधियाँ:
     - हेलीकॉप्टर ऑपरेशन्स (Helicopter Operations)
     - एयर डिफेंस अभ्यास (Air Defence Exercises)
     - हथियार प्रक्षेपण अभ्यास (Weapon Firing Drills)
     - वीज़िट, बोर्ड, सर्च और सीज़र (VBSS) अभ्यास

महत्व: यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच **सैन्य साझेदारी और समुद्री सुरक्षा सहयोग** को मजबूत करने का एक प्रमुख मंच है।

GS FOUNDATION For

UPSC & STATE PSC

- इतिहास
- अर्थव्यवस्था
- भूगोल
- भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

1500x4
~~₹6000/-~~
₹4500/-

- रोज़ाना लाइव क्लासेस
- साप्ताहिक टेस्ट
- क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
- लाइव डाउट सेशन
- रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न

COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF STOCK MARKET

LEARN HOW TO TRADE

FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH

COMBO OFFERS

COURSE FEE

~~₹4000/-~~

OFFER PRICE

₹2800/-

Course Validity
1 YEAR

BBK
Baaten Bazar ki

एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
Baaten Bazar Ki
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

EMI AVAILABLE

+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR